दैनिक
न्याय साक्षी

मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन 'सुगम' का वाणिज्य मंत्री ने किया लोकार्पण

- संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी एवं कर अपवंचन रोकने में मिलेगी मदद
- पंजीयन प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा जनता हितैषी एवं सरल बनाये: मंत्री ओ पी चौधरी
- वाणिज्य कर मंत्री ओ पी चौधरी ने की पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा

रायपुर

वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज मोबाईल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का 03 साईड से फोटो तथा अक्षांश एवं देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर सकेगा। इससे संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी एवं कर अपवंचन को रोकने में सार्थक मदद मिलेगी।

साथ ही चौधरी ने पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित किया गया था। मंत्री चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजीयन विभाग जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विभाग है। ऐसा कार्य संस्कृति बनाए कि जनता को किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो। पंजीयन के इच्छुक पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पंजीयन विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोकें तथा जनता बिना बिचौलियों के किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री करा सके, यह सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण तथा पंजीयन में अनावश्यक विलंब के तथ्य प्रकाश में आने पर उन्होंने संबंधित जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिये।

मंत्री चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि लोक सेवक के रूप में उन्हें जनता की सेवा का मौका मिला है। देश अभी विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तथा इस यात्रा में अधिकारी और कर्मचारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अतः सभी अधिकारी और कर्मचारी सकारात्मक सोंच के साथ काम करें, ईमानदारी बरतें तथा पारदर्शिता दिखायें, जिससे वे विकसित भारत के निर्माण के भागीदार बन सकें।

मंत्री चौधरी ने समीक्षा के दौरान राजस्व प्राप्तियों, दस्तावेजों, आर.आर.सी. प्रकरण, स्टाम्प प्रकरण आदि के तुलनात्मक आंकड़ों की गहन समीक्षा की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च एवं नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाईन कर दिया जायेगा। इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा कर पूराने दस्तावेजों की सर्च कर सकेगा तथा नकल ऑनलाईन डाउनलोड कर सकेगा।

अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपर लेस एवं फेस लेस बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग तथा पी.ओ.एस. से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति वांछित इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात स्वतः तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा। पेन कार्ड का इंटीग्रेशन किया जा चुका है। इसके अगले चरण में आधार के इंटिग्रेशन का कार्य भी जारी है। आधार इंटीग्रेशन होने के बाद गवाहों के रजिस्ट्री ऑफिस में आने की प्रथा समाप्त हो जायेगी एवं छद्म एवं फर्जी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 01 महीने में फेस लेस के प्रथम चरण में हाउसिंग बोर्ड, आर.डी.ए. तथा कॉलोनाइजर्स को यह सुविधा प्राप्त हो जाये। इसके लिए ट्रायल जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा। इससे पक्षकारों को रजिस्ट्री ऑफिस में आये बिना रजिस्ट्री कराने की सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्री चौधरी ने कहा कि विभाग से बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला पंजीयक 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक सभी बड़े दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि पंजीयन अधिकारियों के मदद से कर अपवंचन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

मंत्री चौधरी ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ में वैसे भी गाईड लाइन दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में जिला पंजीयक और उप पंजीयक सुनिश्चित करेंगे कि गाईड लाईन से कम दर पर बाजार मूल्य निर्धारण किसी भी प्रकार से न करें। 01 महीने के भीतर दर्ज स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। 01 सप्ताह के भीतर स्टाम्प रिफंड की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अभियान चलाकर बकाया राजस्व की वसूली करेंगे। सभी बड़े दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण करेंगे लेकिन स्थल निरीक्षण के लिए कोई दस्तावेज मनमाने समय तक पेंडिंग नहीं रखेंगे।

मंत्री चौधरी ने निर्देश दिया कि जनता का कार्य शीघ्रता और परिशुध्दता के साथ संपन्न हो इसके लिए पंजीयन विभाग के सेटअप को रिवाईज्ड किया जाये। रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर जिले जहां राज्य के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा आता है वहां पंजीयन अधिकारियों की संख्या को 04 गुना तक बढ़ाया जाये। विभाग में 505 स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद के विरूद्ध 260 पद रिक्त हैं। उन्होंने रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करने के निर्देश दिये। उन्होंने भवन विहीन उप पंजीयक कार्यालयों में भवन निर्माण का प्रस्ताव तत्काल भेजने का निर्देश दिया। मंत्री चौधरी ने सभी कार्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं बायोमैट्रिक लगाने का भी निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधि कुछ कम हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों के अंदर प्रदेश में फिर मानसून एक्टिवेट हो रहा है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। जिससे मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से में निम्न दाब का एरिया बना हुआ है। जिसके उत्तर-पश्चिम दिशा की और आगे बढऩे की संभावना है। यदि यह आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए यहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसमें बारिश के साथ गरज चमक की संभावना भी जताई है।

खराब खाद्य पदार्थों की शिकायत हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की हेल्पलाइन 9340597097

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारी वर्ग यदि नागरिकों की सेहत के विरुद्ध खराब अमानक खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है। राज्य भर के लिए छत्तीसगढ़ के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन 9340597097 संचालित किया जा रहा है। बर्फ फैक्ट्री में रासायनिक पदार्थ सैकरीन का उपयोग हो या अन्य रासायनिक पदार्थ की मिलावट से दूध या मिठाई निर्माण, खाद्य पदार्थ के डिब्बे या पैकेट में लेबलिंग नहीं पाने, किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखने, होटल, ढाबा, ठेला द्वारा खाद्य लाइसेंस, पंजीयन नहीं और साफ सफाई की कमी होने पर, इसके साथ साथ दवाई दुकान के एक्सपायरी दवा, खराब मांस मछली, सड़े गले फल, खाद्य एवं पेय पदार्थ से सम्बंधित कोई भी शिकायत के लिए आम नागरिक हेल्पलाइन नम्बर 9340597097 पर संपर्क कर सकते हैं।

अज्ञात की फांसी पर लटकी मिली लाश

जांजगीर-चांपा-रायपुर (आरएनएस)। पामगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश फांसी पर लटकती हुई मिली है। राहगीरों ने शव को फंदे पर लटकते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम करते हुए शव पीएम के लिए अस्पताल रवाना कर मामला जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में स्थित मधुकर पेट्रोल पंप के नजदीक कुछ दूर में एक अज्ञात व्यक्ति अनुमानित उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है, फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट में मौत की असली वजह सामने आने के बाद ही यह गुत्थी सुलझ पाएगी।

छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की हड़ताल : सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में ओपीड़ी और ऑपरेशन बंद, केवल इमरजेंसी सेवा

रायपुर । आरएनएस

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के आरके कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ हुई घटना के विरोध में आज देशभर के डाक्टर हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएएम) ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। इसकी वजह से छत्तीगसढ़ सहित पूरे देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन सहित अन्य सेवा बंद है। सभी अस्पतालों में केवल आपतकालीन सेवा ही चल रही है।

आईएमए छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी चिकित्सक एवं नर्सिंग होम में शनिवार 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त शाम 6 बजे तक केवल इमरजेंसी इलाज ही किया जाएगा अन्य सभी चिकित्सीय कार्य बंद रहेंगी। चिकित्सक समाज के स्वास्थ्य के लिए सेवा कार्य करते है पर आये दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कलकत्ता में हुई घटना से पूरा चिकित्सक परिवार व देश की जनता अक्रोषित हैं पूरा चिकित्सक परिवार इस जघन्य घटना के पीड़ित परिवार के प्रति संवेदन वयक्त करता है और भगवान से प्राथना करते हैं कि उनके परिवार को इस दु:ख को सहने करने की शक्ति दें। क्रत्र. ग्रक्र हॉस्पिटल के प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर के उपर हुए हादसे से हम बहुत दुखी और व्यथित हैं, यह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था के लिए काला दिवस है और प्रशासन पूरी तरह विफल है

शुक्ला ने आईएमए की मांगों के संबंध में बताया कि हमारी मांग है कि ष्टक्चढ्ढ जल्द से जल्द कार्यवाही कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दिलाए। सभी अस्पतालों को ह्यड्डद्बद्ग 5शठ्ठद्ग घोषित किया जाए। हरूष्ट, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि अस्पताल में काम करने वाले जूनियर व सीनियर डॉक्टर के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे।

डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल

मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों की थाना प्रभारियों ने की सुरक्षा व्यवस्था की जांच

- मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों को दिए गए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

रायगढ़

रायगढ़ पुलिस ने डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में स्थित शासकीय और निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है तथा कार्यरत मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं। इस दिशा में थाना चक्रधरनगर के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने आज मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सुरक्षा गार्ड्स को सतर्कता से अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए, खासतौर पर महिला डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्टल में तैनात महिला कर्मियों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई।

थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि हॉस्टल, डॉक्टर्स कॉलोनी की ओर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सभी प्रमुख स्थानों जैसे गेट, ओपीडी, कैजुअल्टी, मेडिसिन और सर्जिकल वार्ड में तैनात कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी में पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में कुल 115 सुरक्षा गार्ड्स तैनात हैं, जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने जिला चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और तैनात नगर सैनिकों को सुरक्षा के संबंध में विशेष निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में स्थित निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा थाना प्रभारीगण द्वारा की जा रही है।

पुलिस की पहल डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भी सुरक्षित वातावरण मिलेगा। रायगढ़ पुलिस ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

विधायक देवेन्द्र जेल दाखिल, गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक

रायपुर । आरएनएस

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ़्तार कर ही लिया। उनकी गिरफ्तारी की आशंका तो उसी दिन जाहिर कर दी गई थी, जब डबल इंजन सरकार के तीन-तीन मंत्रियों ने बतौदाबाजार हिंसाकांड के बाद कांग्रेस के नेताओ की तस्वीर जारी करते हुए हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। इधर जेल दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, इस पर जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरियों को अपनी-अपनी बंदूकें तक तान ली थी। किसी तरह मामला संभला।

ज्ञात हो कि सतनामी समाज के जैतखंभ को काटे जाने के विरोध में बलौदाबाजार में समाज के प्रदर्शन के दौरान इस तरह लोग बेकाबू हो गये कि एसपी दफ़्तर। कलेक्ट्रोरेट परिसर को फूंक दिया था। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया लेकिन जब मामला तूल पकडऩे लगा तो एसपी - कलेक्टर को निलंबित करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में उपस्थित सतनामी समाज के नेताओकी गिरफ्तारी शुरु कर दी तो सरकार पर यह आरोप भी लगने लगा कि वह निर्दोष लोगों को न केवल गिरफ्तार कर रही है बल्कि मारपीट और प्रताडित भी कर रही है। प्रदर्शन में शामिल मिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव पर तीन-तीन मंत्रियों ने प्रेसवार्ता ले कर गंभीर आरोप लगाये थे और इसके बाद जब पुलिस ने देवेन्द्र यादव को पूछताछ के लिए बुलाया तभी से उन पर गिफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। कल सुबह 6 बजे अचानक पुलिस देवेन्द्र यादव के घर पहुंच गई, और पुलिस के पहुंचने की खबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यादव के घर पहुंच गये। एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

वहीं यादव ने भाजपा सरकार पर आगजनी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यादव को दुर्ग जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई की खबर फैलने के बाद दुर्ग के भिलाई नगर इलाके में यादव के आवास के बाहर उनके कई समर्थक जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। पार्टी का प्रभावशाली युवा चेहरा यादव भिलाई नगर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं। अग्रवाल ने बताया कि यादव को बलौदाबाजार आगजनी की घटना में कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 147 (दंगा करने की सजा), 186 (किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने से स्वैच्छिक रूप से रोकना), 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 307 (हत्या का प्रयास) और अन्य तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के तहत दर्ज किया गया था।अग्रवाल ने बताया कि यादव को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने यादव को बयान दर्ज करने के लिए कम से कम तीन बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

नवा रायपुर के सडक़ो पर स्टंटबाजी करने वाले 5 गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत नया रायपुर के सडक़ों में अलग-अलग दोपहिया वाहनों में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने दोपहिया वाहनों में स्टंट करते हुए स्वयं तथा दूसरों के साथ दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर घेराबंदी कर सडक़ में बाईक से स्टंट करने वाले 5 बाईक राईडर्स को पकडक़र उनके विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्यवाही किया गया।

व्यक्तियों का नाम व पता (जिनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया)

01. करण कोसले पिता महासिंग कोसले उम्र 22 वर्ष निवासी पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

02. रामेश्वर चक्रधारी पिता अशोक चक्रधारी उम्र 20 वर्ष निवासी लालपुर देवुपरी रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।

03. शिवम भारती पिता प्रकाश भारती उम्र 20 वर्ष निवासी पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

4. विवेक कुमार गौतम पिता रामआश्रय गौतम उम्र 20 वर्ष निवासी बीरगांव न्यू नगर निगम आफिस के पास थाना उरला रायपुर।

05. साहिल कुमार जांगडे पिता रामकुमार जांगडे उम्र 18 वर्ष निवासी सुदामा नगर टिकरापारा रायपुर।

नशे और गर्भपात की दवाइयों के साथ झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। इसी तरह की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आरंग के नरदहा गांव में संचालित लाइफ केयर क्लीनिक में छापामारा।

यह क्लीनिक झोलाछाप डॉक्टर नीलकमल साहू द्वारा संचालित किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में 77 प्रकार के औषधियां क्लीनिक से बरामद की गई।

आरोपी ने बताया कि उक्त औषधियों को रायपुर में स्थित मेडिकल एजेंसियों से खरीदा है। सहायक नियंत्रक डॉ. बसंत कौशिक ने बताया कि खरीदी बिल, लेनदेन से संबंधित रजिस्टर, डायरी भी मौके से बरामद हुआ। जांच टीम में औषधि निरीक्षक प्रीति उपाध्याय, डा. सुरेश कुमार साहू डां. टेकचन्द धीरहे नमूना सहायक रंजित साहू शामिल रहीं।

डेढ लाख की अवैध दवाएं मिली

कार्रवाई के दौरान 77 प्रकार की दवाएं जब्त की गई। जिसमें टीबी की दवाई पोटेंट एंटीबायोटिक, स्टेरायड आदि शामिल है। 23 खरीदी बिल एवं औषधियों का लेनदेन से संबंधित दो डायरी/ रजिस्टर जब्त किया गया है। उक्त औषधियों का बाजार मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपये बताया जा रहा है।

औषधियों के मिले बिल के आधार पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए गए दवाओं को न्यायालय के सुपुर्द भी किया गया है। प्रकरण की पूर्ण विवेचना के बाद कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के दवा संग्रहण और बिक्री पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

कैंसर, टीबी की दवाएं और नशे के दवाएं

जांच में पाया गया कि झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा बिना औषधि ड्रग लाइसेंस के भारी मात्रा में गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाले पोटेंट एंटीबायोटिक, नशीली टेबलेट, गर्भपात करने वाली टेबलेट जैसी दवाएं एमआर एवं मेडिकल एजेंसियों से खरीदी किया जा रहा है।

दिव्य कला मेला : दिव्यांग उद्यमियों के सामर्थ्य को सशक्त करता एक मंच

- बीटीआई ग्राउंड में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित है यह मेला

रायपुर

राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित दिव्य कला मेला को दिव्यांगजनों के साथ-साथ आमजनों द्वारा भी बेहद सराहा और पसंद किया जा रहा है। लोग रक्षा बंधन पर्व के लिए खरीददारी करने के लिए भी मेले में आ रहे हैं। 16 राज्यों से आए हुए दिव्यांग कारीगर एवं उद्यमियों के शिल्प कौशल व उत्पादों को सराहा व खरीदा जा रहा है। दिव्यांगजनों को इस मेले में मार्केटिंग के लिए बेहतरीन मंच मिला है। रंग बिरंगी राखी,घर की साज सज्जा, ऊनी, सूती व रेशमी कपड़े, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री, जूट से बने सामान, हस्तशिल्प व हथकरघा के सामान, पश्मीना शॉल, जूते, ज्वैलरी, लकड़ी के सामान, खिलौने और हर राज्य के खाने पीने के स्टाल लगाए गए हैं। यह मेला सवेरे 10.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक संचालित किया जा रहा है तथा प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन 23 अगस्त तक आयोजित है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विगत दिवस राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 17वें 'दिव्य कला मेला' का भव्य शुभारंभ किया है। दिव्य कला मेला एक ऐसी पहल है जो दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को उनकी कला और उद्यम का प्रदर्शन करने का एक नया मंच प्रदान करता है। इस मेले का आयोजन नई दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न शहरों जैसे वाराणसी, भोपाल, मुंबई, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, सिंकदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना शहरों में हुआ है। भविष्य में देश के शहरों में भी इसका आयोजन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि दिव्य कला मेले में लाखों की संख्या में दिव्यांग और आमजन पहुंचते हैं। दिव्य कला मेले को लेकर लोगों का यह कहना है कि सरकार की तरफ से यह एक बहुत शानदार पहल है इससे न सिर्फ दिव्यांगजनों की उद्यमिता का प्रदर्शन होता है बल्कि वोकल फॉर लोकल के थीम को भी बढ़ावा मिलता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480